कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर

कमांक 293 / प्रर्वतन–राजस्व / टी.सी. / 2016 ग्वालियर दिनांक 03-3-16

प्रति,

1. संभागीय उप परिवहन आयुक्त
2 क्षेत्रीय / अति0क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी
3 प्रभारी, परिवहन चेक पोस्ट
4 प्रभारी, परिवहन उडनदस्ता

मध्यप्रदेश (समस्त)
मध्यप्रदेश (समस्त)
समस्त (मध्यप्रदेश)
समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय :–परिवहन यानों के सकल यान वजन और सुरक्षा धुरी वजन में पांच प्रतिशत तक सहनशीलता अनुज्ञात किये जाने बावत।

सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली ने पत्र कमांक RT-11036 / 92/2015-MVL Dated 11 February 2016 के साथ भारत सरकार, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी 2016 संलग्न प्रेषित कर अधिसूचना का पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया।

भारत सरकार सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी 2016 की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 113 की उपधारा (3) के अनुपालन के प्रयोजन के लिये अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट सकल यान वजन और सुरक्षा धुरी वजन में पांच प्रतिशत तक सहनशीलता अनुज्ञात की जावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(डॉ0 शैलेन्द्र श्रीवास्तव)
परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश

Akhil Gujarat Truck Transport Association
9-3-16

पृष्ठांकन क्रमांक /प्रवंतन–राजस्व/ टी.सी./2016 ग्वालियर

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।

2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 45–ए. अरेरा हिल्स भोपाल की ओर भारत सरकार का पत्र तथा अधिसूचना की छाया प्रति संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है, कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित सकल यान वजन और सुरक्षा धुरी वजन में पांच प्रतिशत तक सहनशीलता को एकीकृत जांच चौकियों के सॉफ्टवेयर में अधिसूचना अनुसार कृपया संशोधित कराने का कष्ट करें।

3 अपर परिवहन आयुक्त (प्रव0/प्रशा0) मुख्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

4 संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त) मुख्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ

परिवहन आयुक्त

मध्यप्रदेश